राजस्थान सरकार

निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांकः– एफ.6(1)मत्स्य/योजना/2020–21/ 3854 दिनांकः– 18/3/2020

प्रस्ताव आमंत्रण

राज्य में मत्स्य विकास को बढ़ावा देने हेतु आगामी वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय सहायता से संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रोजेक्ट सेल्फस तैयार करने हेतु मत्स्य क्षैत्र की निम्नलिखित योजनाओं हेतु इच्छुक व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह/सहकारी समितियों/फर्मो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग, महिलाओं एवं संस्थाओं को नियमानुसार वित्तीय अनुदान देय होगा। मुख्य मत्स्य योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमानित लागत
1	मत्स्य पोण्ड निर्माण	रूपये 7.00 लाख प्रति हैक्टर
2	मत्स्य केज कल्चर (24 केज यूनिट)	रूपये 3.00 लाख प्रति केज
3	खारा पानी झींगा पालन पौन्ड निर्माण	रूपये 7.00 लाख प्रति हैक्टर
4	मत्स्य ब्रूड बैंक (5 हैक्टर)	रूपये 500.00 लाख प्रति हैक्टर
5	मत्स्य बीज उत्पादन यूनिट निर्माण (2 हैक्टर)	रूपये 25.00 लाख प्रति हैक्टर
6	मत्स्य विपणन हेतु आधारभूत सूविधायें	परियोजना लागत अनुसार
7	आईस फैक्ट्री यूनिट स्थापना	परियोजना लागत अनुसार
8	मत्स्य प्रसंस्करण एवं नवाचार योजनायें	परियोजना लागत अनुसार
9	मत्स्य प्रशिक्षण (3 दिवसीय)	योजना नियमानुसार

उपरोक्त सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों तथा विभागीय वेबसाइट **www.fisheries.rajasthan.gov.in,** राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद, (NFDB) की वेबसाईट WWW.nfdb.gov.in एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट **www.diprrajasthan.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है तथा इच्छुक व्यक्ति/फर्म पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय से सम्पर्क कर योजना की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर अपने आवेदन पत्र मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट व दस्तावेज संबंधित मत्स्य कार्यालय में जमा करवा कर नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(श्याम लाल गूजर)
आई.ए.एस.
निदेशक

क्रमांकः–एफ.6(1)मत्स्य / योजना / 2020–21 / 3860–4010 दिनांकः– 18/3/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को 20 प्रतियों मय सीडी में भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाने का श्रम करें।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद......................को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार प्रसार कर इच्छुक व्यक्तियों के प्रस्ताव तैयार कराकर निदेशालय को प्रेषित करावें।
8. मुख्य कार्यकारी,राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्य भवन, पिलर नं0 235, पी.वी.एन.आर. एक्सप्रेसवे, हैदराबाद–500052।
9. उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य विकास / परियोजना अधिकारी।
10. भण्डार शाखा, निदेशालय मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर को बिल का भुगतान करने हेतु प्रेषित है।
11. नोटिस बोर्ड, निदेशालय मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।

सहायक निदेशक मत्स्य
(योजना)

C:\Users\Rohit Fish\Desktop\New folder\Plan\2020-21 files\Vigapti matter.docx